

का पेश हो।

R

17.6.22 पत्रावली पेश हुई। बकील वादीगण व वादीगण ने उपस्थित होकर वाह प्रकरण प्रकरण को विट्टी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाने से वाह प्रकरण को विट्टी करने की अनुमति दी जा चुकी है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारखीन हो जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी क्रम पर आप की जाती है। पत्रावली केवल शुभान बिकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
डुंगला